दिनांक 30.08.2023
प्रेस विज्ञप्ति 32/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय–समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी परवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद बदायूं/थाना बिनावर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जनपद बदायूं द्वारा थाना बिनावर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त नीरज को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मीरजापुर/थाना चुनार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 35–35 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मीरजापुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश जनपद मीरजापुर द्वारा थाना चुनार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–अंजनी कुमार 2–उदयशंकर को आजीवन कारावास व 35–35 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बांदा/थाना बबेरू (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 40 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बांदा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय विशेष एससी/एसटी कोर्ट जनपद बांदा द्वारा थाना बबेरू पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त विशोसर को आजीवन कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बदायूं/थाना बिल्सी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 01 अभियुक्त को 05 वर्ष के कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो कोर्ट जनपद बदायूं द्वारा थाना बिल्सी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363 भादवि व 3(2)5एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोहरनाथ को आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 363/34 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पवन कुमार को 05 वर्ष के कठोर कारावास व 05 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हाथरस/थाना हाथरसगेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 45–45 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथम जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4(2) पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–टीटू उर्फ नेहना 2–सोनू को 20–20 वर्ष के कठोर कारावास व 45–45 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बलिया/थाना बांसडीह (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 65 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बलिया पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट सं0–08 जनपद बलिया द्वारा थाना बांसडीह पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अखिलेश को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 65 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद श्रावस्ती/थाना इकौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद श्रावस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय एएसजे (एससी/एसटी एक्ट) जनपद श्रावस्ती द्वारा थाना इकौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रमेश को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

➢ **<u>जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 04 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 14 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद बाराबंकी द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 354/452/506 भादवि व 08 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त शेरू उर्फ सूरज को 04 वर्ष के कठोर कारावास व 14 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>जनपद सहारनपुर/थाना नागल</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा आदि बरामद**

दिनॉक:29.08.2023 की रात्रि थाना नागल पुलिस टीम द्वारा स्चना के आधार पर जंगल ग्राम गागनौली में बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त फरमान उर्फ बिल्ला घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त जनपद सहारनपुर से वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, हत्या का प्रयास, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नागल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फरमान उर्फ बिल्ला निवासी ग्राम पाण्डौली थाना नागल जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा आदि।

जनपद कासगंज/थाना गंजडुण्डवारा

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29/30.08.2023 की रात्रि थाना गंजडुण्डवारा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गणेशपुर नहर पटरी के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त लोकेन्द्र घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), नगद रूपये, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना गंजडुण्डवारा पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद फतेहगढ़, कासगंज, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गंजडुण्डवारा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लोकेन्द्र निवासी ग्राम उदई थाना हसायन जनपद हाथरस हालपता–मोहल्ला बुन्दू खं गढ़ी स्टेशन के सामने कस्बा व थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–नगद रूपये।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बाराबंकी/थाना मसौली

- **20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनॉकः 30.08.2023 की रात्रि थाना मसौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सहावपुर नहर पुल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त घनश्याम उर्फ अनिल को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना मसौली पर पंजीकृत यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मसौली पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–घनश्याम उर्फ अनिल निवासी शिवबिहार कालोनी मिरजापुर थाना जानकीपुरम, लखनऊ।

कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गोमतीनगर विस्तार

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 चार पहिया वाहन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 लैपटाप, 01 Key मेकिंग मशीन**
- **पूर्ण/अर्द्धनिर्मित 311 चाभिया, 21 स्टेरिंग लॉक, 09 सेन्ट्रेल लॉक सिस्टम,**
- **17 ईसीएम मशीन आदि**
- **01 रिवाल्वर लाइसेन्सी, 02 जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 30.08.2023 को थाना गोमतीनगर विस्तार व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना ठाकुरगंज क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सत्यम 2–आरिफ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 चार पहिया वाहन, 01 मोटर साइकिल, 01 लैपटाप, 01 **Key** मेकिग मशीन, पूर्ण/अर्द्धनिर्मित 311 चाभिया, 21 स्टेरिंग लॉक, 09 सेन्ट्रल लॉक सिस्टम, 17 ईसीएम मशीन आदि, 01 रिवाल्वर लाइसेन्सी, 02 जीवित कारतूस, बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सत्यम के विरूद्ध कमिश्नरेट लखनऊ, कानपुर नगर के विभिन्न थानों पर चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना गोमतीनगर विस्तार पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सत्यम निवासी एलडीए कालोनी कानपुर रोड आशियाना, लखनऊ।

2–आरिफ निवासी रिफा कालोनी कैम्पल रोड, ठाकुरगंज, लखनऊ।

बरामदगी

1–चोरी की 06 चार पहिया वाहन।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 लैपटाप, 01 Key मेकिग मशीन ।

4–पूर्ण/अर्द्धनिर्मित 311 चाभिया, 21 स्टेरिंग लॉक, 09 सेन्ट्रेल लॉक सिस्टम, 17 ईसीएम मशीन आदि।

5–01 रिवाल्वर लाइसेन्सी, 02 जीवित कारतूस।

जनपद इटावा/थाना चौबिया

- **पुलिस कार्यवाही में 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोबाइल फोन**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.08.2023 की रात्रि थाना चौबिया पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चौपुला चौराहा के पास बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त पिंकल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे ह। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोबाइल फोन, 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सौरिख जनपद कन्नौज पर पंजीकृत यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद कन्नौज, इटावा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना चौबिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पिंकल निवासी ग्राम बिजनौरा थाना सौरिख जनपद कन्नौज।

बरामदगी

1–01 मोबाइल फोन।

2–01 मोटर साइकिल।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मैनपुरी/थाना करहल

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 04 कार, 03 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनॉकः 29.08.2023 को थाना करहल व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सिरसागंज रोड रेलवे क्रासिंग से 03 अभियुक्तों 1–कामरान 2–राज उर्फ इश्तकार 3–अलीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 04 कार, 03 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त कामरान के विरूद्ध जनपद मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर वाहन चोरी, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग व अभियुक्त राजा उर्फ इश्तकार के विरूद्ध जनपद मैनपुरी के थाना करहल पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के लगभग आधा दज़न अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना करहल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कामरान निवासी मोहल्ला फर्रास नई बस्ती थाना घिघोर जनपद मैनपुरी।

2—राज उर्फ इश्तकार निवासी मोहल्ला खेडा कस्बा व थाना करहल जनपद मैनपुरी, हालपता—नई बस्ती थाना करहल जनपद मैनपुरी।

3—अलीम निवासी मेवाती टोला थाना कोतवाली इटावा जनपद इटावा।

बरामदगी

1—चोरी की 04 कार, 03 मोटर साइकिल।

2—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट गाजियाबाद

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 250 ग्राम अवैध स्मैक बरामद**

दिनॉकः 29.08.2023 को क्राइम ब्रान्च कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना कविनगर क्षेत्र से अभियुक्त यासीन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 250 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—यासीन निवासी ग्राम उसैता थाना बिनावर जनपद बदायूँ।

बरामदगी

1—लगभग 25 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत)के 250 ग्राम अवैध स्मैक।

जनपद मथुरा/थाना मॉट

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 51 पेटी अवैध शराब**
- **घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद**

दिनॉकः 29.08.2023 को थाना मॉट पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–संदीप 2–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 51 पेटी अवैध शराब, घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन बरामद हये।

इस सम्बन्ध में थाना मॉट पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी धामड रोहतक थाना सदर, हरियाणा।

2–अजय निवासी सिसाना सोनीपत , हरियाणा।

बरामदगी

1–लगभग 02 लाख 50 हजार रूपये कीमत के 51 पेटी अवैध शराब।

2–घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना नईमण्डी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 06 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 30.08.2023 को थाना नईमण्डी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पचैण्डा रोड से नसीरपुर रोड की तरफ जाने वाले तिराह से 02 अभियुक्तों 1–रोहित 2–असलम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 06 मोटर साइकिल साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना नईमण्डी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रोहित निवासी ग्राम रसूलपुर थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

2–असलम निवासी मोहल्ला मरियमपुरा थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1–चोरी की 06 मोटर साइकिल साइकिल।

––––––